

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

--: विविध आदेश :-

क्रमांक 47/एक-15-1/95

विदिशा, दिनांक 07/07/2024

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2842, जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के अनुपालन में लटेरी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उद्भूत पॉक्सो अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमती सोनल पटेल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम गंजबासौदा को हैं।

श्रीमती सोनल पटेल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम गंजबासौदा के न्यायालय में लंबित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 38/2023 शासन विरुद्ध परसराम आदि का कास प्रकरण क्रमांक 25/2023 पुलिस मुरवास वि. राजकुमारी आदि श्रीमती कविता दीप खरे, अपर सत्र न्यायाधीश लटेरी के न्यायालय में लंबित हैं।

काउंटर केस के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत Sudhir and Ors. Vs. State of M.P. (2001) 2 SCC 688, तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2842, जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीमती कविता दीप खरे, अपर सत्र न्यायाधीश लटेरी के न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 25/2023 शासन वि. राजकुमारी आदि (विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 38/2023 शासन वि. परसराम आदि का कास प्रकरण होने से) प्रत्याहरित कर विधिवत् निराकरण हेतु श्रीमती सोनल पटेल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम गंजबासौदा के न्यायालय में अंतरित करता हूँ, आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

sd-
(जाकिर हुसैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विदिशा (म0प्र0)

पृष्ठांक 3145/एक-15-1/95
प्रतिलिपि :-

विदिशा, दिनांक: 07/07/2024

1. श्रीमती सोनल पटेल, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गंजबासौदा
2. श्रीमती कविता दीप खरे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लटेरी
3. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, गंजबासौदा, लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, विदिशा, एवं सिस्टम असिस्टेंट, गंजबासौदा, लटेरी की ओर प्रकरण सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अंतरित करने एवं संबंधित न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल, तथा जिला न्यायालय विदिशा की साईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विदिशा (म0प्र0)